

दिनांक 6/8/19 को पेश हो।

6/8/19 पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील द्वारा
दिनांक 18/6/19 को No Insurrection Plead
कर दिया गया था उसके परचात वादी
को नोटिस जारी किया गया। नोटिस को
लेने से इन्कार किया गया जो शामिल किया
जाता है। वादी की कोर्ट से कोई उपस्थित
नहीं हुआ। तीन बार आवाज लगाई
गई। फिर भी वादी या वादी की कोर्ट
से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली
अदम दायरी एवं अदम पेशी पर वाद
खारीज किया जाता है। पत्रावली केसल
शुमार होकर मजबूर से दम है।

सहायक कलेक्टर
राजीवदा जिला-जालोर

